



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2994]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2016/अग्रहायण 30, 1938

No. 2994]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2016/AGRAHAYANA 30, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4100(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का नाम औषधि (मूल्य नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2016 है।
(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन तारीख को प्रवृत्त होगा।
- औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की अनुसूची-I में, क्रम सं. 30 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“31- हृद स्टेंटों	
31.1	सादे धातु स्टेंट (बीएमएस)
31.2	औषध क्षालन स्टेंट (डीईएस) जिसमें धात्विक डीईएस और जैव अवशोष्य बाहिका ढांचा (बीवीएस)/ जैव अवक्रमणीय स्टेंट सम्मिलित हैं।

[फा. सं. 31026/6/2016-पीआई- II (भाग- II)]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल आदेश 15 मई, 2013 की का.आ. सं. 1221(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

- (i) का.आ. सं. 686(अ) तारीख 9 मार्च, 2015;
- (ii) का.आ. सं. 1233(अ) तारीख 8 मई, 2015;
- (iii) का.आ. सं. 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016; और
- (iv) का.आ. सं. 1192(अ) तारीख 22 मार्च, 2016

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2016

S.O. 4100(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 2013 namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Drugs (Prices Control) third amendment Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs (Prices Control) Order, 2013 in SCHEDULE-I, after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

“ 31- Coronary Stents	
31.1	Bare Metal Stents (BMS)
31.2	Drug Eluting Stents (DES) which include metallic DES and Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)/ Biodegradable stents”

[F. No. 31026/6/2016-PI-II (Pt-II)]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 1221(E) dated 15th May, 2013 and was subsequently amended vide the following notifications:-

- (i) S.O. No 686(E) dated the 9th March, 2015;
- (ii) S.O. No 1233(E) dated the 8th May, 2015;
- (iii) S.O. No 701(E) dated the 10th March, 2016; and
- (iv) S.O. No 1192(E) dated the 22nd March, 2016